



2026:AHC:17661

न्यायालय संख्या - 66

अपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 1124 वर्ष 2026

आवेदक :-सतीश पटेल

विपक्षी :-उत्तर प्रदेश राज्य

आवेदक की ओर से अधिवक्ता : चंद्र कुमार राय, गिरीश कुमार पांडेय

विपक्षी की ओर से अधिवक्ता : अमरनाथ त्रिपाठी, जी.ए., राज रघुवंशी

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. सूची को संशोधित किया गया है।
2. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री चंद्र कुमार राय, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री राज रघुवंशी के सहयोगी अधिवक्ता श्री अरविंद कुमार वर्मा तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. श्री अश्वनी कुमार त्रिपाठी को सुना गया एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, विचारण लंबित रहने के दौरान, थाना - भेलूपुर, जनपद - वाराणसी के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 320 वर्ष 2025, धारा 103(1), 3(5) भारतीय न्याय संहिता (BNS) में जमानत की प्रार्थना कर रहा है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे वर्तमान मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। एफ.आई.आर. में जैसा कि आरोप लगाया गया है, उसका उक्त अपराध से कोई लेना-देना नहीं है। वह एफ.आई.आर. में नामजद नहीं है। आवेदक घटना से पूर्व ही घटनास्थल से चला गया था, अतः वह जमानत का हकदार है।
5. विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह दिनांक 22.08.2025 से कारागार में निरुद्ध है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा और विचारण में सहयोग करेगा।
6. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत आवेदन का इस आधार पर पुरजोर विरोध किया है कि अपराध के समय आवेदक घटनास्थल पर उपस्थित था और वह सी.सी.टी.वी. फुटेज में भी दिखाई दे रहा है। गार्ड का बयान दर्ज किया गया है जिसमें उसने स्पष्ट रूप से कहा है कि आवेदक ने उक्त अपराध में सक्रिय रूप से भाग लिया था, अतः आवेदक जमानत का हकदार नहीं है।
7. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार करते हुए तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक उक्त सी.सी.टी.वी. फुटेज में दिखाई दे रहा है, मैं इसे आवेदक को जमानत पर रिहा करने के लिए उपयुक्त मामला नहीं पाता हूँ।
8. तदनुसार, जमानत आवेदन **निरस्त** किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. तथापि, यह निर्देशित किया जाता है कि यदि कोई कानूनी बाधा न हो, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य 2015 (3) SCC 220 तथा हुसैन एवं अन्य बनाम भारत संघ (2017) 5 SCC 702 के हालिया निर्णयों में प्रतिपादित सिद्धांतों के आलोक में, विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उक्त मामले का शीघ्रता से निस्तारण किया जाए।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहाँ की गई टिप्पणियां जमानत आवेदन के निस्तारण हेतु पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों तक ही सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का विचारण के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

दिनांक : 27 जनवरी 2026

सिद्धांत

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल,)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।